वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

149

15.1 मंत्रालय ने 10वीं योजना एवं 11वीं योजना के पहले वर्ष के दौरान श्रमिकों के कल्याण एवं विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना तैयार की थी । बाल श्रम उन्मूलन तथा बंधुआ श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वास, कौशल उन्नयन आदि पर विशेष जोर दिया गया था । शुरू की जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं थीं विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का ‘‘उत्कृष्टता केन्द्रों’’ के रूप में उन्नयन, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना,राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा ।

15.2 श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए दसवीं योजना के दौरान 1,500.00 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय (85.71 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य सहित) की तुलना में वर्ष वार परिव्यय बजट अनुमान/संशोधित अनुमान सारणी 15.1 में दिया गया है।

15.3 वर्ष 2007-08 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए 345.00 करोड़ रुपये का परिव्यय (19.52 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य सहित) आबंटित किया गया है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 253.55 करोड़ रुपए और केंद्रीय रूप सें प्रायोजित योजनाओं के लिए 91.45 करोड़ रुपये है। वार्षिक योजना 2007-08 के दौरान प्रस्तावित उच्चतर परिव्यय मूलतः डी जी ई एंड टी द्वारा प्रस्तावित नई केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात् आई.टी.आई. का उत्कृष्टता केन्द्रों
के रूप में स्तरोन्नत करना है। इसके अतिरिä,
वर्ष 2007.2008 में व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं श्रम
कल्याण जैसे क्षेत्रों में कुछ नई पहलों अर्थात्
सरकारी-गैर-सरकारी सहभागिता के माध्यम से
कौशल विकास तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों

योजना और गैर-योजना कार्यक्रम 15
के लिए सामाजिक सुरक्षा योजन के लिए प्रावधान
किया गया था। योजनागत प्रावधान और व्यय
का ब्यौरा सारणी 15.2 में दिया गया है।

15.4 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का
महिला प्रशिक्षण प्रकोष्ठ और महिला श्रम प्रकोष्ठ
महिलाओं और महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से अलग से बनाई गई योजनाओं पर कार्रवाई करते हैं। मंत्रालय ने महिलाओं से संबंधित चार योजनाएं हैं।

15.5 श्रम और रोजगार मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ रोजगार केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा, राष्ट्रीय श्रम संस्थान बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास तथा श्रम ब्यूरो के क्षेत्रों में योजनागत स्कीम है। ये दोनों मिलकर क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना की रचना करती है।

15.6 सरकार के निर्देशानुसार, बजट आबंटन का 10 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम की विशिष्ट परियोजनाओं/स्कीमों के लिए रखा जाता है इस प्रकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2007-2008 के दौरान ऐसी योजनाओं के लिए 34.50 करोड़ रुपये के बराबर निधियां आबंटित की हैं।

15.7 श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान करने हेतु अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान देता है। वर्ष 2007-2008 के दौरान 25 लाख रुपए की राशि का बजट आबंटन किया गया है। इस संबंध में अब तक श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन और रोजगार सेवा

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

150

एवं प्रशिक्षण आदि विषयों पर कई अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए हैं । कई अन्य अध्ययन भी किए जा रहे हैं।

15.8 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) तैयार करने की प्रक्रिया में योजना आयोग ने श्रम और रोजगार के क्षेत्र में छः कार्यकारी समूह गठित किए थे अर्थात् (क) श्रम बल तथा् रोजगार संभावना, (ख) कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, (ग) श्रम कानून तथा अन्य श्रम विनियमन (घ) व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। इनमें से, अंतिम पांच समूहों का गठन सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अघ्यक्षता में किया गया था। कार्यकारी समूहों की रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी गयी है। इन रिपोर्टों में 11वीं पंचवर्षीय योजना संबंधी दस्तावेज तैयार करने के लिए इनपुट का प्रावधान किया गया था।

15.9 मंत्रालय के योजनागत कार्यक्रमों के अलावा, मंत्रालय के पास रोजगार और प्रशिक्षण, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों के सुनिश्चय, कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, श्रमिक शिक्षा, संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और सांख्यिकी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के साथ-साथ अन्य सचिवालय सामाजिक सेवाओं और योजनाओं जैसे विभिन्न क्रियाकलापों वाले गैर-योजना कार्यक्रम हैं। 2006-07 के दौरान 1332.22 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में गैर-योजना व्यय 1812.77 करोड़ रुपए रहा। 2007-08 (बजट अनुमान) को बढ़ाकर 1571.79 करोड़ रुपए कर दिया गया है। गैर.योजना बजट अनुमान तथा व्यय का ब्यौरा सारणी 15.3 मे दिया गया है।

वार्षिक रिपोर्ट 2007-08
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

151

सारणी 15.1

वर्ष वार परिव्ययध्बजट अनुमानध्संशोधित अनुमान

वर्ष बजट अनुमान
;बण्अण्द्ध

संशोधित
अनुमान
;संण् अण्द्ध

वास्तविक व्यय
;वाण् व्ययद्ध

बअण् की
तुलना में
वास्तुविक व्यय
का:

संण्अण्की
तुलना मं
वास्तविक व्यय
का:
2002-
03

148.59

(+ ÃÖß ›ü²»µÖæ
21.41)

125.00 117.71 79.22 94.17

2003-
04

145.49

(+ ÃÖß ›ü²»µÖæ
24.51)

125.00 124.01 85.23 99.21

2004-
05

168.97

(+ ÃÖß ›ü²»µÖæ
14.03)

165.00 151.74 89.80 91.96

2005-
06

219.48

(+ ÃÖß ›ü²»µÖæ
13.00)

200.00 192.48 87.70 96.24

2006-
07

311.36

(+ ÃÖß ›ü²»µÖæ
25.40)

235.00 225.39 72.39 95.91

योग 993.89
(+ ÃÖß ›ü²»µÖæ
98.35)

850.00 811.33 81.63 95.45

टिप्पणी सीण्डब्ल्यू का आशय उस निर्माण कार्य से है जिसे मंत्रालय को अंतरित किया जाता है।

सारजी 15.2

श्रम संबंधी योज-ााजत प्रावधा-ा और व्यय

क्र म संज्या	प्रभाज/योज-ाएं	10वीं योज-ाा 2002-07 परिव्यय	10वीं योज-ाा संचित परिव्यय	वार्षिज योज-ाा (2006-07)		वार्षिज योज-ाा (2007-08)
				परिव्यय	वास्तविज व्यय	अ-ाुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
01	रो.एवं.प्रशि.महा.					
	(ज) रोजगार	36.66	7.22	7.33	2.13	6.43
	(ज) प्रशिजज	363.34	185.88	115.83	50.83	86.20
02	व्यावसायिज स्वास्थ्य एवं सुरजा (डी.जी. एम एस.) एवं (डी. जी. फसली)	107.40	17.03	20.32	6.01	11.97
03	औद्योजिज संबंध	37.20	19.27	6.95	4.40	7.90
04	बाल श्रमिज	667.50	460.62	132.05	119.95	170.55
05	महिला श्रमिज	2.50	1.14	0.41	0.27	0.51
06	श्रम सांज्यिजी	112.00	32.79	16.87	10.22	5.49
07	राष्ट्रीय श्रम संस्था-ा	12.00	14.08	3.30	3.30	4.50
08	अ-ाुसंधा-ा अध्यय-ाों जे लिए सहायता अ-ाुदा-ा योज-ाा	3.00	0.53	0.26	0.06	0.25
09	श्रमिज शिजा	35.00	41.17	9.14	9.14	7.90
10	बंधुआ श्रमिजों जा पु-ार्वास	44.00	8.81	2.00	0.88	1.80
11	अ-ाय योज-ााएं (सूच-ाा प्रौद्योजिजी, अ-ाुभाजों जा आधु-िाजीजरज, प्रशिजज जाजरूजता सृज-ा, जृषि सामाजिज सुरजा योज-ाा, श्रमिजों जी सामाजिज सुरजा पर -ाई पहले आदि)	79.40	5.19	22.30	1.40	7.00
12	पूर्वोत्तर जेत्र में परिव्यय /व्यय	[109.03]	17.60	[33.68]	16.80	34.50
13	पूंजी जंड					[3.74]
	जुल	**1500.00**	**811.33**	**336.76**	**225.39**	**345.00**

टिप्पजी: जोष्ठज में दिए जए आंजड़े अलज-vyx योज-ााओं में जिए जए प्रावधा-ाों में शामिल जिए जए थे।